राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, २००६

प्रारूप मूपक २९

(नियम ३१(१) देखिए)

कर बोर्ड को अपील

केवल कार्यालय उपयोग के लिए
अपील संखया .....
फाइल करने की तारीख .....

द्वारा पारित आदेषा तारीख ..... के विरूद्व राजस्थान मूपक अधिनियम, २००३ की धारा ८३ के अधीन अपील

अपीलकर्ता ..... प्रत्यर्थी

.....

1- व्यवहारी/व्यक्ति का नाम

.....

.....

.....

पता

भवन सं./नाम/क्षेत्र

.....

.....

नगर/षाहर

.....

.....

जिला (राज्य)

.....

.....

पिन कोड .....ई-मेल आईडी

.....

2- दूरभाष सं .....फैक्स नम्बर

.....

3- प्रत्यर्थी का नाम

.....

.....

.....

4- पता

भवन सं./नाम/क्षेत्र

.....

नगर/षाहर

.....

जिला (राज्य)

.....

पिन कोड .....ई-मेल आईडी

.....

दूरभाष सं .....फैक्स नम्बर

.....

5- जिसके विरूद्व अपील की गयी आदेषा तामिल की तारीख (दिन/माह/वर्ष) ;; ;; ;;;;

6- धारा, जिसके विरूद्व अपील की गयी है

.....

7- वह कालावधि जिसमें विवाद संबंधित है ;; ;; ;;;; से ;; ;; ;;;; तक

8- अपील में दावाकृत अनुतोष

(क) कर, ब्याज और शास्ति को सम्मिलित करते हुए दायित्व प्राधिकारी,

जिसने आदेषा पारित किया है, द्वारा अवधारित रूपये ;;;;;;;;

अपीलकर्ता द्वारा स्वीकृत रूपये ;;;;;;;;

अपीलकर्ता द्वारा विवादग्रस्त रूपये ;;;;;;;;

(ख) यदि पण्यावर्त विवादग्रस्त है

विवादग्रस्त पण्यावर्त रूपये ;;;;;;;;

विवादग्रस्त पण्यावर्त पर देय कर रूपये ;;;;;;;;

(ग) यदि कर की दर विवादग्रस्त है

पण्यावर्त रूपये ;;;;;;;;

विवादग्रस्त कर की रकम रूपये ;;;;;;;;

(घ) यदि शास्ति/ब्याज का आदेषा विवादग्रस्त है,

धारा, जिसके अधीन शास्ति/ब्याज विवादग्रस्त है

.....

विवादग्रस्त शास्ति की रकम रूपये ;;;;;;;;

विवादग्रस्त ब्याज की रकम रूपये ;;;;;;;;

(ड) अन्य कोई दावाकृत अनुतोष

९- अपील करने के आधार

.....

.....

.....

हस्ताक्षर

स्थान : नाम :

तारीख : हैसियत

सत्यापन

मैं/हम यह सत्यापित करता हूँ/करते है उपर्युक्त जानकारी और इसके संलग्नकों (यदि कोई हो) मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विद्रवास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुल भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

स्थान : नाम :

तारीख : हैसियत

1- अनुदेषा :

2- कृपया अनुदेशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें।

3- समस्त प्रविष्टियां बडे अक्षरों में भरी जायें।

4- वैकल्पिक खानों में ;का निषान लगायें।

5- अपील तीन प्रतियों में फाइल की जानी चाहिए।

6- यथा विहित न्यायालय फीस स्टाम्प चिपकाये।

7- आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें जिसके विरूद्व अपील फाइल की जा रही है।

8- निर्विवाद रकम के संदाय का सबूत संलग्न करें।

9- विलम्ब के मामलें में, विलम्ब की माफी के लिए प्ररूप मूपक २८ संलग्न करे।
यह प्ररूप निम्नलिखित के द्वारा सत्यापित और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए :-
क. स्वत्वधारी समुत्थान की दषा में, स्वत्वधारी।
ख. भागीदारी फर्म की दषा में प्रबन्ध भागीदार और जहां कोई प्रबन्ध भागीदार नहीं है वहां, भागीदारी विलेख नहीं होने की दषा में सभी भागीदारों द्वारा और भागीदारी विलेख होने की दषा में किसी भी एक भागीदार द्वारा।
ग. कम्पनी की दषा में प्रबन्ध निदेषाक या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता।
घ. हिन्दू भक्त कुटुम्ब की दषा में कर्ता।
ड. अन्य सभी मामलों में प्राधिकृत हस्ताक्षकरकर्ता।

10- च. कारबार प्रबन्धक।

11- अतिरिक्त पन्ना संलग्न करें यदि आप उपलब्ध स्थान पर समस्त ब्यौरा देने में समर्थ नहीं है।

समस्त दस्तावेजों/साक्ष्य को संलग्न करें जिन पर आप अपील में विचार करवाना चाहते है।